न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 48/2024

पीठासीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान :–

1.राजूराम 2.बांका 3.हडुमान 4.गोमा पि.पेलाद,
जाति जाट, निवासी रतासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

वनाम

1.उमाराम पुत्र मेराजराम 2.चुतरा 3.पेमा 4.बना पि.सरूपा 5.हडुमान पुत्र वेना 6.हरीराम पुत्र टीकमा 7.अणदू पत्नि टीकमा 8.तगाराम 9.दुर्गाराम पि.खेताराम 10.मेशाराम 11.गोरखाराम 12.देरामाराम 13.लुम्बाराम 14.लिखमाराम 15.पूरोदेवी पि. हीराराम, 16.पोकराराम 17.हनुमानराम 18.जीयाराम पि.कुम्भाराम 19.मालूदेवी पत्नि कुम्भाराम, जाति जाट, निवासी रतासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
20.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण –

प्रार्थीगण :– **श्री शाकर खान एच.**

विप्रार्थीगण :–

अधिकारी * चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 08/05/25

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मौजा रतासर, पटवार हल्का जैसार, तहसील चौहटन में खसरा सं. 475/362 रकबा 08.0937 हैक्टयर की आई हुई है। इसी मूल खसरा सं. 362 में विप्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 472/362 रकबा 10.0200 हैक्टयर, खसरा सं. 473/362 रकबा 19.4249 हैक्टयर, खसरा सं. 556/362 रकबा 03.6341 हैक्टयर, खसरा सं. 557/362 रकबा 03.6341 हैक्टयर, खसरा सं. 555/362 रकबा 03.6341 हैक्टयर, खसरा सं. 554/362 रकबा 03.6422 हैक्टयर, खसरा सं. 474/362 रकबा 03.6341 हैक्टयर, खसरा सं. 519/362 रकबा 00.0647 हैक्टयर की आई हुई है।

प्रार्थीगण के खसरा सं. 475/362 की ज[illegible]दा[illegible] भूमि का रकबा 08.0937 हैक्टयर (50.00बीघा) दर्ज है जो प्रार्थीगण [illegible] से क्रय किया था, जिस समय प्रार्थीगण ने उक्त भूमि खरीदी थी तब बेचान[illegible] के खसरे में 112.06 बीघा भूमि थी जिसमें प्रार्थीगण ने 08.0937 हैक्टयर (50.00 बीघा) खरीदी थी जिसका [illegible] नामान्तरकरण जमाबन्दी में सही 08.0937 हैक्टयर अमल दरामद किया गया। लेकिन नक्शा ट्रेस में उक्त 08.0937 हैक्टयर (50.00बीघा) भूमि की तरमीम कम कर दी जिसकी वजह से वर्तमान नक्शा ट्रेस में भूमि का रकबा जमाबन्दी की तुलना में कम दर्ज है जबकि इसी मूल खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.23 17:20:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

नम्बर के अन्य बट्टा नम्बर के खातेदारों के नक्शा ट्रेस में भूमि का रकबा जमाबन्दी की तुलना में नक्शे में अधिक दर्ज हो गया जो मात्र राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से दर्ज हुआ इसलिए प्रार्थीगण उक्त खसरा सं. 362 के समस्त बट्टा नम्बर के खसरों के नक्शे में जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार तरमीम दुरस्त करवाना चाहता है जिस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादग्रस्त भूमि की तरमीम दुरस्ती की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, अतः विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट स्वीकार की तथा निवेदन किया कि तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदन का निस्तारण किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर मौजा रतासर, पटवार हल्का जैसार, तहसील चौहटन में खसरा सं. 475/362 रकबा 08.0937 हैक्टयर, खसरा सं. 472/362 रकबा 10.0200 हैक्टयर, खसरा सं. 473/362 रकबा 19.4249 हैक्टयर, खसरा सं. 556/362 रकबा 03.6341 हैक्टयर, खसरा सं. 557/362 रकबा 03.6341 हैक्टयर, खसरा सं. 555/362 रकबा 03.6341 हैक्टयर, खसरा सं. 554/362 रकबा 03.6422 हैक्टयर, खसरा सं. 474/362 रकबा 03.6341 हैक्टयर, खसरा सं. 519/362 रकबा 00.0647 हैक्टयर की तरमीम तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट के परिशिष्ट/प्रपत्र "अ" अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवाय अंग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 08/05/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

(उपखण्ड अधिकारी चौहटन — seal)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.23 17:20:02 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

प्रपत्र 3/3

प्रपत्र (अ)
वर्तमान मौका स्थिति
प्रस्तावित मुकदमा

Ex-Count

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

हरा रंग — खाता 475/362 कि
खातेदार/मौकब्जा
रकबा 08.0937

लाल रंग — खाता 472/362 कि
खातेदार/मौकब्जा
रकबा = 10.0200

शेष सभी खाते ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.23 17:20:02 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार चौहटन

पटवारी जैसार